

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (2634/16) 76/19

--: प्रार्थी ::-	बनाम	--: अप्रार्थीगण ::-
1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट-राबड़ियावास तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. जरिये संयुक्त अध्यक्ष पॉवर ऑफ अटोनी होल्डर श्री राजेश सी. कोठारी पुत्र श्री चम्पालाल कोठारी आयु 60 वर्ष हाल निवासी-अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप राबड़ियावास तहसील-जैतारण जिला-पाली।		1. हरलाल पुत्र आपुराम 2. रामकिशन पुत्र आपुराम 3. कालू पुत्र आपुराम 4. नाथु पुत्र आपुराम 5. गुदड़ पुत्र चौथा 6. धर्मा पुत्र चौथा 7. मांगु पुत्र चौथा 8. बाबु पुत्र चौथा जातियान- कुम्हार, निवासीगण-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।


राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारीअधिनियम, 1955तारीख रजु: 25/07/2016

उपस्थित:-


1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

--: निर्णय ::-दिनांक: 26/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट-राबड़ियावास का एक सीमेंट प्लान्ट अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. के नाम से सरहद मौजा-राबड़ियावास तहसील-जैतारण में स्थापित है, कार्यरत है व उत्पादनरत है उक्त अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट-राबड़ियावास कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लि. कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बतौर संयुक्त अध्यक्ष श्री राजेश सी कोठारी नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी के द्वारा रेल्वे प्रोजेक्ट की भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 750 रकबा 80-02 बीघा में सायल कम्पनी द्वारा गैरसायलानगण से 40-01 बीघा


 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) जैतारण

भूमि को खरीद की थी। उसके बाद सायल कम्पनी द्वारा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्ड से तकास्मा कर अपने हिस्से की भूमि तरमीम करवाकर अलग खसरा 750/1 कुल रकबा 40-01 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवा रखी है। सायल कम्पनी की उस भूमि में से 13-15 बीघा भूमि रीको के नाम अवाप्त होकर खसरा नंबर 750/2 रकबा 13-15 बीघा भूमि किस्म बारानी दोयम हुई उसके सायल कम्पनी के खसरा नंबर 750/1 रकबा 17-12 बीघा व खसरा नंबर 750/3 रकबा 8-14 बीघा कुल रकबा 26-06 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके है जिसमें सायल कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व गैरसायलानगण संख्या 01 से 08 उक्त भूमि के पड़ोस में खसरा नंबर 750 रकबा 40-01 बीघा किस्म बारानी दोयम के पड़ोसी खातेदार काश्तकार है सायल कम्पनी एवं गैरसायलानगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है जो बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवारा होकर सायल कम्पनी का अलग खसरा नंबर 750/1 रकबा 17-12 बीघा व खसरा नंबर 750/3 रकबा 8-14 बीघा कुल रकबा 26-06 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है एवं गैरसायलानगण का 750 रकबा 40-01 बीघा दर्ज है व सभी का अलग-अलग खसरा के अनुसार कब्जा व काश्त है व सायल का अपने हिस्से की भूमि के अलग खसरा नंबर 750/1 रकबा 17-12 बीघा व खसरा नंबर 750/3 रकबा 8-14 बीघा कुल रकबा 26-06 बीघा किस्म बारानी दोयम पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर सायल व गैरसायलानगण की सम्पूर्ण भूमि के खसरे पास-पास दर्ज है व नक्शा टेस में भी सम्पूर्ण भूमि अलग-अलग जोत दर्शाई गई है मौके के कब्जे व काश्त सायल एवं गैरसायलानगण अपने खसरे अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई है तथा विवादित आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत 2069 से 2072 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा टेस की प्रमाणित प्रति की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। बाद तकास्मा आराजी सायल अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 750/1 रकबा 17-12 बीघा व खसरा नंबर 750/3 रकबा 8-14 बीघा कुल रकबा 26-06 बीघा किस्म बारानी दोयम का पर्सनल खातेदारी भूमि का उपयोग-उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व गैरसायलानगण को सायल के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि गैरसायलानगण द्वारा ऐसा किया गया तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है सायल को अपूर्णाय क्षति होगी गैरसायलानगण द्वारा ऐसा किया गया तो सायल को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए सायल गैरसायलानगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण


निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलगण के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एवं मौके पर कब्जा काश्त व दस्तावेजात के आधार पर सायल का विवादित भूमि पर प्रथमदृष्ट्या मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में साबित है तथा विवादित भूमि में गैरसायल द्वारा सायल को बेदखल करने, भूमि को खुर्द बुर्द करने व कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने की स्थिति में अपूरणीय क्षति सायल को होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 03 व 07 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1,2, 4 से 6 व 8 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 03 व 07 को अनेकानेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र का निपटारा हम निम्न बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर करना उचित समझते हैं।

1-प्रथमदृष्ट्या मामला :- उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की आराजी ग्राम-राबड़ियावास पटवार हल्का-राबड़ियावास तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 750/1 रकबा 17-16 किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 750/3 रकबा 08-14 किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 रकबा 26-06 बीघा का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार है। अप्रार्थीगण संख्या 01-08 उक्त भूमि के पड़ोसी खसरा संख्या 750 रकबा 40-01 बीघा आराजी दोयम के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कम्पनी (प्रार्थी) और अप्रार्थीगण के मध्य बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा होकर तरमीम हो रखी है। इससे प्रथमदृष्ट्या यह मामला सिद्ध होता है कि जब 750/1 एवं 750/3 दोनों खसरों के अप्रार्थीगण खातेदार या सह खातेदार भी नहीं है तथा केवल पड़ोसी खसरे के खातेदार होने के नाते प्रथमदृष्टतया मामला सिद्ध नहीं माना जा सकता है। साथ ही प्रार्थी ने यह भी नहीं बताया है कि उसके पड़ोसी खातेदारों ने अब तक क्या कच्चा-पक्का निर्माण कार्य किया है और यदि किया है तो किस प्रकार का किया है। अतः इस स्थिति में प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2-सुविधा का संतुलन :- उपर्युक्त बिन्दू संख्या 01 जो कि वादी/प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हो चुका है। साथ ही प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण


कौन-कौनसी सुविधाओं का संतुलन उसके पक्ष में है। अतः यह बिन्दु भी विरुद्ध वादी/प्रार्थी स्थापित होता है।

3-अपूरणीय क्षति :- बिन्दु संख्या 01 व 02 प्रार्थी/वादी के विरुद्ध साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रार्थी और अप्रार्थीगण अलग-अलग आराजी के खातेदार काश्तकार है जिससे यह प्रतीत होता है कि अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी वादी/प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।


अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी/प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-पाली (राज.)

